सुरक्षा विभाग की उपलब्धियां

2023 & 2024

1) **रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम**

आरपीएफ द्वारा नियमित रूप से रेलवे संपत्ति के खिलाफ अपराध में लिप्त अपराधियों के खिलाफ का छपे का आयोजन किया गया इस वजह से कोंकण रेलवे में रेलवे संपत्ति की चोरी नियंत्रण में है।

वर्ष 2023 के दौरान, रेसुब द्वारा RP(UP) एक्ट के तहत, 05 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 03 मामले को सुलझाया, 09 बाहरी लोगों की गिरफ्तारी कर रू.2,15,647/- की संपत्ति जप्त की गयी ।

वर्ष 2024 के दौरान, रेसुब द्वारा RP(UP) एक्ट के तहत, 09 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 06 मामले को सुलझाया, 08 बाहरी लोगों की गिरफ्तारी कर रू.76,824/-की संपत्ति जप्त की गयी।

2) **रेल अधिनियम** :

रेल अधिनियम विभिन्न प्रावधानो के तहत अपराधों पर कार्यवाही की जाती है। ऐसे अभियान चलाकर यात्रिओं को यात्रा को शन्तिपूर्ण करना सुनिश्चित किया जाता है ।

वर्ष 2023 में रेसुब द्वारा कुल 1167 व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रेलवे कोर्ट द्वारा कुल रु.12,22,800/- जुर्माना वसूल किया गया, जुर्माना नहीं भरने के कारण 07 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है ।

वर्ष 2024 में रेसुब द्वारा कुल 1225 व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के तहत कार्यवाही कर रेलवे कोर्ट द्वारा कुल रु.10,80,050/- जुर्माना वसूल किया गया है।

3) **<u>सिगरेट एवं तबांकू अधिनियम </u>**:

रेलवे तथा रेलवे परिसर में धूम्रपान की रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 2023 में अभियोजन चलाया गया जिसके अंतर्गत अनाधिकृत रुप से धूम्रपान करते हुए सिगरेट एवं तबांकू अधिनियम (COTP एक्ट 2003) के विभिन्न धाराओं के तहत 254 मामले दर्ज किये गए तथा इसके अंतर्गत रु.50,800/- दंड स्वरूप लिए गए | तथा वर्ष 2024 में रे.सु.ब. द्वारा कुल 331 व्यत्तियों से कुल रू.66,200/- जुर्माना वसूल किया गया है।

4) **<u>लापता बच्चो को उनके परिवार / चाइल्ड हेल्प लाइन में सुपुर्दगी :</u>**

घर से भागे कई बच्चो को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल एवं रेलवे परिसर बचाव करते हुए वर्ष 2023 में 96 बच्चो को तथा वर्ष 2024 में कुल 62 बच्चों को उनके माता-पिता/ चाइल्ड केयर, एन.जी.ओ. को सुपुर्द गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किये गए इस कार्य हेतु गुमशदा बच्चो के माता, पिता एवं परिजन अत्यंत आभार व्यक्त किया एवं रेलवे सुरक्षा द्वारा किये गई तत्पर कार्यवाही की खूब प्रशंसा की गयी ।

5) **<u>अवैध शराब की जप्ती</u>**

गोवा में रेलवे द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक/केरला में शराब भेजी जाती है। इसकी रोकथाम हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तत्पर कार्यवाही करते हुए राज्य आबकारी विभाग के सहयोग से वर्ष 2023 में मूल्य रु.4,90,041/- की 3596 शराब की अवैध बोतलों को जब्त किया तथा 36 शराब के तस्करो को गिरफ्तार किया गया। तथा वर्ष 2024 मूल्य रु.9,76,971/- की शराब की 7546 अवैध बोतले एवं 61 शराब के तस्करों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य आबकारी विभाग को सुपुर्द किया गया ।

6) **<u>वाणिज्य विभाग को सहयोग</u> :**

बिना टिकट यात्रियों को रोकथाम हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा समय पर रेलवे सुरक्षा बल विभाग के सहयोग से मुहिम चलाई जाती है, इस मुहिम के अन्तर्गत वर्ष 2023 में 3440 व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया और रेलवे सुरक्षा बल विभाग के सहयोग से वाणिज्य विभाग द्वारा बिना टिकट व्यक्तियों को रु.21,85,504/- जुर्माना भरने के पश्चात रिहा किया गया| तथा वर्ष 2024 में 6086 व्यक्तियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया जिनसे 56,28,903/- रूपये जुर्माना वसूला गया |

7) **<u>यात्री सामान की सुपुर्दगी</u>**

कोंकण रेल के रे.सु.ब. कर्मियों ने वर्ष 2023 में क़रीब 268 यात्रियों जिन्होने अपना सामान और मूल्यवान वस्तुए जिसमें बैग, मोबाइल फोन, कैमरे, लैपटॉप, इत्यादि गाडी से उतरते वक्त या प्लैटफॉर्म पर भूलवश छोड़ दी थी, जिनकी कुल कीमत करीब रु.98,51,268/- रूपये थी को सुरक्षित कब्जे में लेकर उक्त यात्रियो को सौंपा गया | तथा वर्ष 2024 में 218 यात्रियोंकी करीब रु.2,03,88,848/- रुपये की संपत्ति को सुरक्षित कब्जे में लेकर उक्त यात्रियों को सौंपा गया |

8) **<u>आरपीएफ द्वारा यात्री सामान की चोरी से संबंधित मामलों की खोज</u> :**

कोंकण रेलवे पर आरपीएफ की बहुत कम संख्या के बावजूद, आरपीएफ, रेलवे परिसर तथा रेल गाड़ियों की यात्रा के दौरान यात्री सामान की चोरी की घटनाओं को रोकने और पता लगाने के लिए बहुत सक्रियता से काम कर रही है |

वर्ष 2023 के दौरान कुल 21 यात्री के सामान की चोरी के मामले खोजे गए | यात्रिओं की सामान और मूल्यवान वस्तुओं की कीमत रु.2,24,95,988/- के साथ 31 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमे रे.सु.ब. द्वारा 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । वर्ष 2024 में कुल 08 यात्री के सामान की चोरी के मामले खोजे गए | यात्रिओं की सामान और मूल्यवान वस्तुओं की कीमत रु.9,14,650/- के साथ 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमे रे.सु.ब. द्वारा 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । सभी पकड़े हुए अभियुक्तों को आगे की क़ानूनी कार्यवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौपा गया ।